मुन्तकिल प्रकरण सं0 86/2020 (RCMS 2020/00243) देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी मौडां, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर बनाम 1 गुरविन्द्र सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह 2. दलजीत सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह जाति कम्बोज, निवासी चक 40 एच, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर 3. स्टेट – जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर 4. उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर (अप्रार्थीगण) 5. अवतार सिंह पुत्र रेशम सिंह जाति जटसिख निवासी मौडां, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर 6. बलराज सिंह पुत्र श्री अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी मौडां, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.02.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री राजवीर सिंह एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री हरवीर सिंह उपस्थित है। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रकरण संख्या 7/2018 अनवानी गुरविन्द्र सिंह आदि बनाम अवतार सिंह आदि अर्न्तगत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के न्यायालय में विचाराधीन है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक के समर्थक है और उनके द्वारा ऐलानियां कहा गया है कि पीठासीन अधिकारी पर हमारा राजनैतिक दबाव है और वे हमारे पक्ष में है, आप चाहे जितने मर्जी कानूनी बिन्दु उठा लो, फैसला हमारे ही पक्ष में होगा। अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही विधिनुसार नहीं चल रही जिसके चलते प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय मिलाने की सम्भावना नहीं हैं इसलिए अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 7/2018 अनवानी गुरविन्द्र सिंह आदि बनाम अवतार सिंह आदि अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र से बाहर किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये जावे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

इसके विपरीत अप्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर लिखित आपत्तियां दिनांक 09.11.2020 को पेश की है और उनके आधार पर कथन किया कि देवेन्द्र सिंह एवं अवतार सिंह पिता पुत्र है। इससे पूर्व दो बार इसी मुकदमें में मुंतकिली का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जो प्रथम बार 23.09.2019 को खारिज किया है तथा उसके बाद पुनः नया प्रार्थना पत्र 39/2020 पेश किया गया जो दिनांक 17.06.2020 को खारिज किया गया है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना भी खारिज करने योग्य है।

उनका आगे कथन है कि प्रार्थीगण ने प्रकरण में जानबूझकर देरी करने के लिए एक निगरानी राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में पेश की थी, जो दिनांक 14.02.2020 को खारिज की जा चुकी है। इसलिए प्रार्थी का यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र भी खारिज करने योग्य है।

उनका आगे कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रकरण विचाराधीन है और उसे रास्ते की आवश्कता है। प्रार्थी अवतार सिंह एक प्रभावशाली व्यक्ति है वह जानबूझकर परेशाान करने के लिए बार बार मुंतकिली प्रार्थना पेश कर न्याय को निष्फल करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 20 हजार रूपये के हर्जाना से खारिज किया जावे।

मैने अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त टिप्पणी दिनांक 27.01.2021 एवं पत्रावली का अवलोकन किया और उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी गुरविन्द्र सिंह आदि ने अधीनस्थ न्यायालय में 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रकरण संख्या 07/2018 अनवानी गुरविन्द्र सिंह आदि बनाम अवतार सिंह आदि को अन्यत्र मुंतकिल के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। इसलिए इस न्यायालय को धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के रास्ते के प्रकरण के गुण दोष पर विचार नहीं करना है अपितु इस

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नही,?

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि **अप्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय** में अपने खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि तहसील श्रीकरणपुर चक 13 ओ के मु. नं. 27 को काश्त करने के लिए व आने जाने के लिए चक 13 ओ में प्रार्थी के कब्जा काश्त में मु.नं. 18 जो करणपुर से श्रीगंगानगर रोड़ के साथ चिपती पूर्वी दिशा में मु.नं. 18 के किला नं. 21 दक्षिणी पश्चिमी कोना में पश्चिम से पूर्व की दिशा में रास्ता स्वीकृत करने का प्रकरण पेश किया हुआ है जिसे प्रार्थी ने अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। पूर्व में भी प्रार्थी अवतार सिंह ने इस न्यायालय में दो बार अधीनस्थ न्यायालय के इसी प्रकरण संख्या 07/2018 को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु पेश किया था जिसमें इस न्यायालय के आदेश दिनांक 23.09.2019 द्वारा पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने के कारण निष्प्रभावी होने से खारिज कर दिया गया था तथा पुनः प्रार्थी अवतार सिंह ने इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 39/2020 के रूप में पेश हुआ जो इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.06.2020 से गुण दोष के अधार पर खारिज कर निम्न आदेश पारित किया था:-

> चूंकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान में प्रकरण की सुनवाई की जा रही है। इसलिए अगर प्रार्थी को उक्त निर्णय से कोई आपत्ति है तो वह सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई करने के आदेशों में किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

वर्तमान में प्रार्थी देवेन्द्र सिंह जो कि पूर्व में दो बार मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता अवतार सिंह का पुत्र है इस प्रकार दोनो आपस में बाप बेटा है। तीसरी बार अधीनस्थ न्यायालय के उसी प्रकरण को मुंतकिल करने हेतु इस न्यायालय में देवेन्द्र सिंह ने पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिम दबाव का आरोप लगाकर ये प्रार्थना पत्र पेश किया है जो एक ही अधिनस्त न्यायालय में लंबित प्रकरण संख्या 07/2018 अनवानी देवेन्द्र सिंह आदि बनाम अवतार आदि से सम्बन्धित है तथा वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी ने पीठसीन अधिकारी पर राजनैतिक दबाव का आरोप लगाकर निष्पक्ष न्याय न मिलने की सम्भावना व्यक्त की है। राजनैतिक दबाव का आरोप मुकदमा मुन्तकिली का कोई ठोस आधार नही बनाता है अतः यह साधारण प्रकृति का आरोप है जो कभी भी किसी पर किसी समय लगाया जा सकता है। अतः इस आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया जा सकता।

प्रार्थी देवेन्द सिंह व उसके पिता अवतार सिंह ने तीन अलग–अलग पीठासीन अधिकारीयों के विरूद्ध प्रकरण संख्सा 7/2018 को गुरविन्द्र सिंह बनाम अवतार सिंह आदि धारा 251 राजस्थाना काश्ताकारी अधिनियम को मुन्तकिली करने की प्रार्थना के साथ पेश किये है जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी को किसी भी पीठासीन अधिकारी पर विश्वास नहीं है और अधिनस्थ न्यायालय में लम्बित प्रकरण को जानबूझ कर विलम्ब करने के इरादे से बार–बार मुंतकिल करवाने हेतु पेश कर रहे है जो किसी प्रकार से उचित नहीं है। इस प्रकार बार–बार मुंतकिली प्रार्थना पत्र पेश कर इस न्यायालय का समय बर्बाद किया जा रहा है तथा न्याय प्रक्रिया को बाधित किया जा रहा है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कॉस्ट के साथ खरिज करना उचित होगा।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 5000/— कॉस्ट के साथ खारिज किया जाता है। निणर्य की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को इस आदेश के साथ भिजवाई जाती है कि इस निर्णय प्राप्ति के दस दिवस के भीतर—भीतर प्रार्थी से कॉस्ट राशि 5000/— प्राप्त कर, नियमानुसार राजकोष में जमा करवाये। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर